Mailed

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0यो0छात्रवृत्ति–01 / 2012– 2891

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप निदेशक, कल्याण /
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक– 01 मार्च, 2016

विषयः– प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति के संबंध में दिशा–निर्देश।
प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–4 / निदे0छात्र0विविध–135–01 / 2013– 897 दि0–13.03.15।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति वितरण मुख्यालय स्तर पर करने का निर्णय लिया गया था। समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ है कि केन्द्रीयकृत व्यवस्था से निर्धारित लक्ष्य को ससमय प्राप्त नहीं किया जा सका है और छात्रों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रकियात्मक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का वितरण पूर्व की भाँति जिला स्तर से ही विकेन्द्रीकृत रूप में किया जाए।

2– अतः उपरोक्त के आलोक में मुख्यालय स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति वितरण हेतु जिला स्तर से प्राप्त छात्र–छात्राओं की अनुशंसित सूची, जिसपर अब तक मुख्यालय स्तर से कार्रवाई नहीं की जा सकी है, को पुनः अग्रत्तर कार्रवाई हेतु संबंधित जिला को लौटायी जा रही है।

3–प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण की प्रकिया :

पूर्व में विभाग द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण हेतु समय–समय पर विभागीय निदेश निर्गत किए गए हैं। छात्रवृत्तियों के सम्यक् एवं ससमय वितरण तथा पूरी प्रकिया के प्रभावकारी ढंग से अनुश्रवण हेतु पूर्व अनुदेशों के अतिरिक्त निम्नांकित व्यवस्था कोषांग का गठन करते हुए किए जाने का निर्णय निम्नवत् है :–

(i)– जिला स्तरीय अनुश्रवण कोषांग :–

इस कोषांग में 2 विकास मित्र, एक सहायक तथा 1 कम्पयूटर ऑपरेटर प्रतिनियुक्त रहेंगे।

इस कोषांग का कार्य छात्र–छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों को हार्ड कॉपी से मिलान करना, आवेदन–पत्रों को विकास मित्रों के माध्यम से जांच करवाना एवं जॉच प्रतिवदेन के आलोक में जिला छात्रवृति समिति में अनुशंसा प्राप्त करने हेतु सूची को तैयार करना, छात्र / छात्राओं / अभिभावको की शिकायतों का निवारण करना इत्यादि होगा। जिला कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को उप निदेशक, कल्याण को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में अपने मंतव्य के साथ प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ii)–प्रमंडलीय अनुश्रवण कोषांग :–

इस कोषांग में प्रमंडलीय स्तर पर पदस्थापित एक अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी / वरीय प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं एक कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रतिनियुक्त रहेंगे।

इस कोषांग द्वारा प्रतिदिन प्रमंडलाधीन सभी जिलों से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित प्रतिवेदन का संग्रहण/अनुश्रवण किया जाएगा तथा संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा-निदेश दिए जायेंगे।

उप निदेशक,कल्याण प्रत्येक 15 दिनों (माह के 15 तारीख एवं 30 तारीख को) में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) निदेशालय स्तरीय अनुश्रवण कोषांग :-

कोषांग प्रमंडल स्तर से समन्वय स्थापन तथा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति वितरण संबंधी प्रतिवेदन का संग्रहण/अनुश्रवण करेगा।

निदेशालय स्तर पर प्रमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के संबंध में प्रत्येक माह एक समीक्षात्मक प्रतिवेदन सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- सभी जिला पदाधिकारियों तथा प्रमंडलीय आयुक्तों के स्तर पर आयोजित की जाने वाली मासिक समीक्षात्मक बैठक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की प्रगति की समीक्षा उनके स्तर पर की जाएगी एवं प्रत्येक माह इसके आलोक में मंतव्य सहित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

5-उपर्युक्त सभी कोषांगों का गठन उपलब्ध मानव संसाधन से तत्काल प्रभाव से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के स्तर पर किया जायेगा। भविष्य में कोषांगों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में आवश्यकतानुसार समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जाएगा।

6-जिला स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति वितरण हेतु आवश्यक राशि RTGS के माध्यम से जिला कल्याण पदाधिकारियों को उनके पदनाम से संधारित बैंक खाते में लौटायी जा रही है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि का वितरण नियमानुसार एवं कालबद्ध ढंग से किया जाना करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

1.3.16

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 281। पटना, दिनांक— 01 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 281। पटना, दिनांक— 01 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:— निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 281। पटना, दिनांक— 01 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

1.3.16

सरकार के सचिव।